झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 1635 वर्ष 2020

मो0 शमसुल हक, उम्र 59 वर्ष (लगभग), पे0–मो0 इशाक, निवासी मोहल्ला–दर्जी बीघा, डाकघर एवं थाना–चतरा, जिला–चतरा, वर्तमान में, प्रधान लिपिक, नगर परिषद (नगर परिषद), चतरा, डाकघर एवं थाना–चतरा, जिला–चतरा, झारखण्ड, 825 401 ... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, शहरी विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, परियोजना भवन, झारखण्ड सचिवालय, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची, झारखण्ड

3. निदेशक, शहरी विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, परियोजना भवन, झारखण्ड सचिवालय, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची, झारखण्ड

4. उपायुक्त, चतरा, डाकघर एवं थाना–चतरा (सदर)

5. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, डाकघर एवं थाना–चतरा, जिला–चतरा, झारखण्ड

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री फैजल आलम, अधिवक्ता।

उत्तरदाता सं0 5 के लिए: श्री रंजीत कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरदाता राज्य के लिए : सुश्री श्रेया मिश्रा, अधिवक्ता।

6 / 09.12.2020 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता फैजल आलम, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्रेया मिश्रा और प्रतिवादी सं0 5 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार को सुना।

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रिट याचिका पर सुनवाई की गई है।

याचिकाकर्त्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि प्रति शपथपत्र के कंडिका संख्या 26 के मद्देनजर, जिसे कल उसे दिया गया है, वह रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहता है।

सुश्री श्रेया मिश्रा, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता मौजूद हैं और उन्होनें इस स्थिति को स्वीकार किया है कि याचिकाकर्त्ता की शिकायत प्रति शपथ–पत्र के कंडिका संख्या 26 के मद्देनजर आच्छादित की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, यह रिट याचिका वापस लेने से खारिज की गई।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)